दिनांक 12.09.2023 (मंगलवार) को चकबंदी निदेशालय, पटना में आयोजित चकबंदी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – पंजी के अनुसार

कार्यवाही :–

दिनांक 12.09.2023 को चकबंदी निदेशालय स्तर पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक बैठक में विभिन्न कार्यावली बिन्दु पर निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में समीक्षोपरांत निम्न बिन्दुओं पर मुर्त रूप देने हेतु निदेश इस प्रकार दिये गये :–

1. MIS – चकबंदी निदेशालय स्तर पर विकसित MIS सॉफ्टवेयर पर uploaded धारा 10 (डी) के वादों का कार्यालय वार समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि पूर्व में दिनांक 25.04.2023 निदेशक, चकबंदी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद अपेक्षित कार्य प्रगति नहीं होने तथा अद्यतन डाटा upload नहीं होन पर असंतोष व्यक्त किया गया है।

2. MIS सॉफ्टवेयर के तहत चकबंदी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों द्वारा मोबाईल एप से उपस्थिति दर्ज करने हेतु पिछली बैठक में ही अनुपालन का निदेश दिया गया था। लेकिन इस बैठक में समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी की मोबाईल एप से उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। जिसपर निदेशक महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। निदेश दिया गया कि मोबाईल एप से उपस्थिति दर्ज के अनुसार ही वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाय।

3. विभिन्न चकबंदी पदाधिकारियों द्वारा चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के तहत अनाधिसूचित योग्य होने वाले राजस्व ग्रामवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में वैसे सभी राजस्व ग्रामों का एक निर्धारित समय सीमा के अंदर विहित प्रपत्र में प्रस्ताव उप निदेशक चकबंदी के माध्यम से चकबंदी निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।
   जिसमें चकबंदी पदाधिकारी, उदवंतनगर, बक्सर, भभुआ, भगवानपुर, दुर्गावती, कुदरा, विक्रमगंज, दावथ, डिहरी, दिनारा, काराकाट, करगहर, नासरीगंज, सासाराम को दिनांक 25.09.2023 तक, चकबंदी पदाधिकारी, राजपुर, को दिनांक 25.10.2023 तक एवं चकबंदी पदाधिकारी, चेनारी को दिनांक 15.10.2023 तक प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया है।

4. पूर्व में दिनांक 25.04.2023 के बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद विभिन्न एजेंडा के अनुसार चकबंदी कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन असंतोषजनक रहने, मोबाईल एप से उपस्थिति दर्ज नहीं करने एवं भारत माला परियोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों के चक मानचित्र की तैयारी में विलम्ब करने तथा वैसे राजस्व ग्रामों का भी पुनः ब्लू प्रिंट मानचित्र की मांग करने के बिन्दु पर सभी चकबंदी पदाधिकारियों से कारण पृच्छा करने को निदेशित किया गया है।

5. निदेशक महोदय द्वारा समीक्षात्मक बैठक में यह पृच्छा की गई कि उप निदेशालय स्तर पर संचालित अपीलीय न्यायालय में अब तक कितने वाद दायर किये गये है, कितने वादों का सुनवाई के पश्चात निष्पादित किये जा चुके है, तथा कितने वाद अब तक लंबित है। इस संबंध में उप निदेशक चकबंदी से प्रतिवेदन की मांग करने को निदेशित किया गया है।

उप निदेशालय स्तर पर लंबित मानचित्रों की स्थिति के बिन्दु पर प्रतिवेदन की मांग करने का निदेश दिया गया है।

6. सेवांतीय लाभ – सेवांतीय लाभों से संबंधित जितने भी मामले लंबित है, उसके निष्पादन की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाय। साथ ही साथ छः माह पूर्व तक सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के ससमय सेवांतीय लाभों के दावे का निस्तार करने का निदेश दिया गया है।

7. माननीय उच्च न्यायालय एवं बी0एल0टी0 में दायर वाद – सभी चकबंदी पदाधिकारियों को यह निदेशित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं बी0एल0टी0 में दायर वादों में सरकार की ओर से ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करें।

चकबंदी कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण निदेशक महोदय द्वारा घोर असंतोष व्यक्त करते हुए उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर/रोहतास/सिवान के अधीनस्त कार्यरत कर्मियों का एवं सभी चकबंदी पदाधिकारियों (पूराने शाहाबाद जिले के अंचल एवं कटैया, गोपालगंज) के साथ–साथ चकबंदी के अन्य सभी कर्मियों (संविदा सहित) का माह सितम्बर, 2023 से अगले आदेश तक वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया है।

मासिक बैठक की अगली तिथि 25.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के सभागार कक्ष में निर्धारित की गयी है।

सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Simmi Prasad.
13/09/23
अनुदेशक–सह–स्थापना प्रभारी पदाधिकारी।

ज्ञापांक 917 **/12/चक0–बैठक–8–01/2015, पटना, दिनांक** 13/09/2023/
प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी/सभी उप निदेशक, चकबंदी/उप निदेशक, सर्वे प्रेस गुलजारबाग, पटना–7/सचिव–सह–निदेशक, चकबंदी के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सभी चकबंदी पदाधिकारी (सक्रिय अंचल)/चकबंदी पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा)/कर्मी/बजट शाखा/लेखा शाखा, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना/चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Simmi Prasad.
13/09/23
अनुदेशक–सह–स्थापना प्रभारी पदाधिकारी।